epaper
हिन्दुस्तान

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

कोलकाता अंचल, प्रथम तल, मैकलियोड हाउस, 3 एनएस रोड, कोलकाता - 700001

शाखा खोलने के लिए किराए पर परिसर की आवश्यकता है

बैंक ऑफ महाराष्ट्र परिसर के उन स्वामियों/पीओए धारकों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जिसके पास उनकी शाखा(ओं) के लिए व्यावसायिक कार्यकलापों हेतु स्थानीय नगरपालिका/सरकारी प्राधिकरण/पंचायत आदि से प्राप्त अनुमति अवश्य हो।

परिसर का अनुमानित कारपेट क्षेत्रफल	अवस्थित
800 - 990 वर्ग फीट	1. कोडरमा, कोडरमा जिला 2. छत्तर मांडू, रामगढ़ जिला
500 - 660 वर्ग फीट	3. चरही, हजारीबाग जिला

पृथक प्रवेश के साथ एटीएम रूम सहित शाखा खोलने के लिए प्रस्तावित परिसर पट्टा किराया आधार पर वरीयतः भूतल पर (पर्याप्त पार्किंग स्थान के साथ) होना चाहिए। परिसर में पर्याप्त पावर लोड और बैंक की अपेक्षाओं और विशिष्टियों के अनुसार अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का प्रावधान हो। परिसर बैंक की अपेक्षानुसार कब्जे हेतु तैयार हो या 10-15 दिनों के अंदर तैयार हो जाना चाहिए। इच्छुक पार्टियां/व्यक्ति क्रमशः **''तकनीकी बोली''** और **''व्यावसायिक बोली''** के बैंक के निर्धारित प्रारूपों पर दो पृथक-पृथक लिफाफों में जिसपर क्रमशः ''तकनीकी बोली''/''व्यावसायिक बोली'' शीर्षांकित हो, पर अपने प्रस्ताव **31.01.2020 को सायं 05.00 बजे तक आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोलकाता अंचल, प्रथम तल, मैकलियोड हाउस, 3 एनएस रोड, कोलकाता - 700001** के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन प्रारूपों को उक्त कार्यालय से कार्यालय समय के दौरान व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जा सकता है और बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in से इस निविदा विज्ञापन के साथ ''टेण्डर'' अनुभाग के अधीन भी डाउनलोड किया जा सकता है। बैंक उसके लिए बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को रद्द/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कोई दलाली देय नहीं होगी। अधूरे व विलम्ब से प्राप्त प्रस्ताव विचारणीय नहीं होंगे। आगामी विवरण हेतु और तकनीकी व व्यावसायिक बोली प्रारूप हेतु हमें dzmkolkata@mahabank.co.in, gad_cal@mahabank.co.in, pln_cal@mahabank.co.in/033 40374904/40374908/40374910/8530041820/7634941506 पर सम्पर्क करें।

टिप्पणी: वे जो पूर्व विज्ञापन दिनांक 09.01.2020 के प्रत्युत्तर में प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं, दोबारा आवेदन न करें।

दिनांक: 21.01.2020, स्थान: कोलकाता **प्राधिकृत अधिकारी**